रेस्तरां का सेवा शुल्क लेना 'अवैध' नहीं : FHRAI

■ दिल्ली, नवभारत समाचार सेवा. होटल और रेस्तरां उद्योग संगठन एफएचआरएआई ने कहा कि रेस्तरां द्वारा लगाया गया सेवा शुल्क 'अवैध' नहीं है और यह ग्राहकों पर निर्भर करता है कि वे यह देना चाहते हैं या नहीं. फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा सेवा शुल्क रेस्तरां की तरफ से संभावित ग्राहकों के लिए एक प्रस्ताव की तरह है. उपभोक्ताओं को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर होने की बढ़ती शिकायतों पर चर्चा करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से दो जून को बुलाई गई बैठक से पहले एफएचआरएआई ने यह कहा है. उपाध्यक्ष गुरबख्शीश सिंह कोहली ने कहा कि यह ग्राहकों को तय करना है कि वे रेस्तरां को सेवा शुल्क देना चाहते हैं या नहीं. इसमें कुछ भी गलत या अवैध नहीं है और न ही यह रेस्तरां के लिए सेवा शुल्क वसूलने के कानून का उल्लंघन है.